न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2023/407
मुकदमा नम्बर 108/2023 दर्ज दिनांक–06.10.2023

सतपाल मुहाल पुत्र ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी पबाना, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–आवेदक

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 26.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम पबाना पटवार हल्का पबाना में भूमि खाता सं. 537 के खसरा नं. 1318/413 रकबा 1.9900 है0, खसरा नं. 399 रकबा 0.1550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1450 है0, खाता सं. 536 के खसरा नं. 424 रकबा 2.1700 है0, खाता सं. 535 के खसरा नं. 1060/423 रकबा 0.1400 है0, खसरा नं. 480 रकबा 2.1400 है0, खसरा नं. 481 रकबा 2.3800 है0 में आवेदक का नाम सत्यपाल सिंह पुत्र ईशर दर्ज है जो गलत है। आवेदक का सही नाम सतपाल मुहाल पुत्र ईश्वर सिंह है। अतः आवेदक के राजस्व रिकार्ड मे सत्यपाल सिंह पुत्र ईशर के जगह सतपाल मुहाल पुत्र ईश्वर सिंह दुरूस्त व दर्ज किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 505 दिनांक 22/02/2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे सत्यपाल सिंह पुत्र ईशर कि जगह सतपाल मुहाल पुत्र ईश्वर सिंह दुरूस्त व दर्ज किया जाना न्यायोचित है

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम पबाना पटवार हल्का पबाना में भूमि खाता सं. 537 के खसरा नं. 1318/413 रकवा 1.9900 है0, खसरा नं. 399 रकबा 0.1550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1450 है0, खाता सं. 536 के खसरा नं. 424 रकबा 2.1700 है0, खाता सं. 535 के खसरा नं. 1060/423 रकबा 0.1400 है0, खसरा नं. 480 रकबा 2.1400 है0, खसरा नं. 481 रकबा 2.3800 है0 में आवेदक का नाम सत्यपाल सिंह पुत्र ईशर कि जगह सतपाल मुहाल पुत्र ईश्वर सिंह दुरूस्त व दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner